न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2025/119

अपील संख्या – 87/25

हाबुडी पत्नि रामप्रसाद उर्फ प्रसादीलाल जाति मीना निवासी ग्राम पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

कल्याण पुत्र हीराचंद जाति मीना निवासी ग्राम पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 62/22 निर्णय दिनांक 26.6.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री राजेश कुमार मीना
अभिभाषक रैस्पो0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा

दिनांक 16.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.6.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा न0 196,197,197/1530,350 वाके ग्राम पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है। अप्रार्थीगण की भूमि हाल खसरा न0 195,194,193,192,191,190 वाके ग्राम पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उक्त आराजी पर जाने के लिए रास्ता खसरा न0 अप्रार्थी के उक्त खेतो की मेड से लगता हुआ आम रास्ते तक और प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा न0 196 व 197 पर पहुँच के लिए अप्रार्थी के उक्त खसरा नंम्बरो की मेड से लगता हुआ रास्ता चाहिए। प्रार्थी को उक्त रास्ता उचित व सुलभ है एवं कम दूरियो वाला है। सभी तरीके से उक्त रास्ता उचित है। जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमियो पर आ जा सके। उक्त रास्ता सरकारी रिकार्ड मे नही है जबकि प्रार्थी उक्त रास्ता निकलवाना चाहता है। प्रार्थी रास्ते के काम आने वाली भूमि के लिए सरकारी दरो के आधार पर आवश्यक शुल्क जमा कराने को तैयार है। इसलिए मुख्य रास्ते से लेकर प्रार्थी के खेत खसरा न0 तक प्रार्थी को 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि को सरकारी रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगणो की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश रूयेदाद मिसल पत्रावली से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश सामान्य दिनचर्या मे आनन फानन के साथ पारित किया है किसी भी प्रकार से पत्रावली का कोई अवलोकन आदेश पारित करते समय नही किया। इसलिए उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अप्रार्थी/रेस्पो0 कन्हैया लाल पुत्र जयराम की मृत्यु होने के बाद पारित किया गया है किसी भी मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय आदेश नल एण्ड बोईड होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पहले प्रार्थी अधिवक्ता ही किसी प्रकार की अंतिम याचना एवं अंतिम बहस को नही सुना केवल और केवल अपने विवेकीय अधिकार के अनुसार मनमर्जी का आदेश पारित किया है। जिससे अपीलांट के हितो पर गहरा कुटाराघात हुआ है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को बिना सुने ही आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एक मनमर्जी का होने की श्रेणी मे आने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/रेस्पो0 कल्याण द्वारा गाली गलोच करने एवं रास्ता रोकने के तथ्य उल्लेखित किये गये है वह सरासर गलत है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से रास्ता नही रोका गया है। प्रार्थी द्वारा मनगढन्त घटना बनाकर निराधार तथ्यो पर रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है उसमे साफ साफ उल्लेखित किया है कि यदि अप्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा न0 190 व 195 मे से रास्ता देने के लिए सहमत होते है तो प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपने चाहे गये 30 फीट के मार्ग के लिए अप्रार्थीगण को मनपसंद भूमि उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त ही प्रार्थी को नक्शा शीट मे प्रदर्शित रास्ते को देने का आदेश किया जाना चाहिए था जा कि ना तो अपीलांट और ना ही अप्रार्थी से इस विषय मे किसी प्रकार की चर्चा नही करके आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही प्रार्थी के प्रभाव मे आकर की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे प्रार्थी कल्याण के द्वारा पेश किया गया नक्शा ट्रेस का भी सही ढंग से अवलोकन नही किया। प्रार्थी कल्याण को अपने खेत खसरा न0 196,197,197/1530 पर जाने के लिए सुगम रास्ता खसरा न0 201 व 202 मे होकर लेना चाहिए था जो नही लिया बल्कि अपीलांट को परेशान करने के लिए खसरा न0 190,191,192,193,194,195 मे से मांगा गया जो विधि विरूद्व एवं निराधार है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर दिनांक 18.12.22 से पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश पारित किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रार्थी/रेस्पो0 के खेत खसरा न0 196,197,197/1530,350 वाके ग्राम ... तहसील ... सवाई माधोपुर मे आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड मे पूर्व से कोई रास्ता दर्ज नही है एवं पूर्व से अप्रार्थीगण के खेतो से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आवागमन होने के कारण अप्रार्थीगण के खेतो मे से रास्ता प्रदान करने हेतु विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत ही धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी तहसीलदार द्वारा प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु पूर्व से कोई रास्ता मौजूद नही होने तथा अप्रार्थीगण के खेतो से ही रास्ता सुगम एवं सुलभ होने के साथ रास्ता प्रदान किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही रास्ते के काम आने वाली भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि अप्रार्थीगण को दिये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त रास्ता अन्य खातेदार कन्हैया पुत्र जयराम एवं राजाराम पुत्र लटूर के खेतो मे से भी प्रदान किया गया है। जिनके द्वारा कोई अपील पेश नही की गई है। इससे स्पष्ट है कि उक्त खातेदारो को रास्ता दिये जाने के किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी द्वारा धारा 251 ए के तहत अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा न0 196,197,197/1530,350 वाके ग्राम पढाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे आवागमन हेतु पूर्व से कोई रिकार्डेड रास्ता नही होने के कारण एवं प्रार्थीगण द्वारा पूर्व से आवागमन कर रहे रास्ते को बंद किये जाने के कारण रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट का कथन रहा कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही खातेदार कन्हैया पुत्र जयराम की मृत्यु हो चुकी थी परन्तु प्रार्थी द्वारा इस तथ्य को छिपाकर कन्हैया को पक्षकार बनाकर मृत व्यक्ति के खेत मे से रास्ता प्राप्त किया गया है। अपीलांट के इस कथन की पुष्टि प्रस्तुत छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट/अप्रार्थीयां को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के इस कथन की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है। जबकि रास्ते के सबंध मे यह स्वीकृत तथ्य है कि जिस जोतधारक की भूमि मे से रास्ता दिया जाता है उसे सुना जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुंने बिना एवं मृतक कन्हैया की आराजीयात मे से रास्ता देकर विधिक त्रुटि कारित की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मृतक कन्हैया के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए [illegible] को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 62/22 निर्णय दिनांक 26.6.25 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक कन्हैया के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.10.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner